तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/4/22	अभियोजन अधिकारी उप०। अप्रार्थी के अधिवक्ता उप०। पीठासीन अधिकारी महो० अन्य कार्यों में व्यस्त है। मिसल दिनांक 13.4.22 को पेश हो।	
13/4/22	अभियोजन अधिकारी उप०। अप्रार्थी के अधिवक्ता उप०। पीठासीन अधिकारी महो० अन्य कार्यों में व्यस्त है। मिसल दिनांक 18.4.22 को पेश हो।	
18/04/22	पत्रावली आज पेश हुई। गैर सायलान जमानतदार के अधिवक्ता उपस्थित। गैर सायल दण्डित बंदी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल दण्डित बंदी की ओर से जवाब पेश किया जो अभिलेख पर है।	

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि गैर सायल मौटाराम पुत्र जेठाराम निवासी कोलू पुलिस थाना बायतु जिला बाड़मेर हाल दण्डित बंदी जिला जेल सिरसा (हरियाणा) को दिनांक 14.05.2020 को 06 सप्ताह के स्पेशल पैरोल पर रिहा कर निर्धारित दिनांक 26.06.2020 को पुनः जेल में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया था। इसके पश्चात कोविड–19 की परिस्थितियों के मद्देनजर हाईपावर कमेटी के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में पैरोल अवधि 03.10.2021 तक बढ़ाई गई तथा दण्डित बंदी को उक्त दिनांक को पुनः उपस्थित होना था। दण्डित बंदी मोटाराम निर्धारित तिथि से तीन दिन विलम्ब से दिनांक 06.10.2021 को जिला जेल सिरसा (हरियाणा) में उपस्थित हुआ। इस पर अधीक्षक जिला जेल सिरसा (हरियाणा) द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.01.2022 द्वारा दण्डित बंदी के विरूद्ध धारा 446 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही कराते हुए जमानत एवं बंध पत्र की राशि सम्पहरण किये जाने का निवेदन किया।

अधीक्षक जिला जेल सिरसा (हरियाणा) की रिपोर्ट के आधार पर गैर सायलान के विरूद्ध प्रकरण अन्तर्गत धारा 446 सीआरपीसी के तहत दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल मोटाराम द्वारा मार्फत अधीक्षक जिला जेल सिरसा (हरियाणा) जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 14.05.2020 को जिला जेल सिरसा से स्पेशल पैरोल 06 सप्ताह की पैरोल पर अपने गांव कोलू आया था इसी दौरान हरियाणा राज्य में कोरोना महामारी फैल गई तथा हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा गठित हाईपावर कमेटी के निर्णय अनुसार हरियाणा सरकार ने पैरोल की अवधि 02 महिने बढ़ा दी। इसलिए मैं जेल में हाजिर नहीं हो सका। जेल विभाग ने मुझे सूचित किया कि आप दिनांक 03.10.2021 को जेल में हाजिर हो तथा इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्देशानुसार मैं दिनांक 03.10.2021 को जेल में हाजिर हो गया। मेरे द्वारा पैरोल कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः मुझे जारी किया गया नोटिस दाखिल दफ्तर किया जाए। गैर सायल के उक्त जवाब पर अधीक्षक जिला जेल सिरसा (हरियाणा) द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.03.2022 मे अंकित किया कि उक्त बंदी को कोविड–19 प्रोटोकॉल के बाद क्वारेनटाईन का समय पूरा होने के बाद जेल में अद्योहस्ताक्षारकर्ता के समक्ष पेश किया व सुना गया। बंदी ने तीन दिवस विलम्ब से हाजिर होने का कारण रेलगाड़ी का टिकट समय पर ना बनना बताया है तथा बंदी पैरोल से पहली बार लेट हुआ है व 55 वर्षीय बुर्जुग व्यक्ति है। इसलिए नम्र रूख अपनाते हुए बंदी द्वारा किये गए अपराध के लिए पंजाब जेल मैन्युअल के पेरा नम्बर 630 (3) के तहत तीन दिन Forfeiture of earned remission करने की सजा दी जाती है। बंदी को दी गई सजा की ज्युडिशियल अप्रेजल माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरसा के आदेश क्रमांक 10338 दिनांक 01.11.2021 के तहत् करवा ली गई है।

हमने गैर सायल के जवाब पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल मोटाराम को स्वीकृत पैरोल अवधी समाप्ति के पश्चात् अधीक्षक जेल के निर्देशानुसार दिनांक 03.10.2021 को जेल मे उपस्थित होना था किन्तु तीन दिवस विलम्ब से उपस्थित हुआ है जिसके संबंध में जवाब मे उल्लेख किया है कि कोविड–19 की परिस्थितियों के फलस्वरूप रेल टिकट नहीं मिलने के कारण नियत दिनांक को कारागृह में समर्पण नहीं किया गया। अधीक्षक जिला कारागृह सिरसा ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के जवाब को सदभावी प्रकट किया है तथा तीन दिवस के उक्त विलम्ब के अपराध पर नम्र रूख अपनाते हुए बंदी द्वारा किये गए अपराध के लिए पंजाब जेल मैन्युअल के पेरा नम्बर 630 (3) के तहत तीन दिन Forfeiture of earned remission करने की सजा दी गई है। इस प्रकार गैर सायल दण्डित बंदी का जवाब संतुष्टीपरक है तथा गैर सायल निर्धारित पैरोल अवधि समाप्ति के बाद फरार होने के उद्देश्य से कारागृह से अनुपस्थित नहीं रहा है। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों के आधार पर गैर सायलान के विरूद्ध जारी किये गए नोटिस धारा 446 सीआरपीसी को ड्राप किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप गैर सायलान के विरूद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रकट सदभाविक कारणों के आधार पर ड्राप किये जाते है। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 11:03:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, वाड्मेर